न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–174 / 2017

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम कन्हैया सहनी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
29/1/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1280 / गो0, (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय दरभंगा) दिनांक–06.08.17 से प्राप्त विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–145 / 17 दिनांक 26.06.2017 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन अपाची मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07W-8327 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थि नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। इसलिए न्यायहित में एकपक्षीय सुनवाई की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि बेलाशंकर के प्रेम कुमार पासवान, पे0 परमेश्वर पासवान भारी मात्रा में विदेशी शराब बेला रैक प्वांईट से अपाची मोटरसाईकिल से ढ़ो रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस बल बाघ मोड़ पर जमा हुए। उक्त टीम के साथ प्रेम कुमार पासवान के घर छापामारी किया। तलाशी के क्रम में परमेश्वर पासवान पे0–स्व0 वासुदेव पासवान सा0 बेला शंकर, थाना विश्वविद्यालय जो प्रेम कुमार के पिताजी हैं, के निर्माणाधीन घर से एक बोरा में 750*ml* का 14 (चौदह) सीलबंद बोतल एवं अन्य बोतल में 1/4 शराब बरामद किया गया। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जब्त मोटरसाईकिल से शराब बरामद नहीं हुआ है। इसलिए उक्त वाहन को राज्यसात् किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन मोटरसाईकिल से शराब बरामद नहीं हुआ है। विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस का तामिला प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हुए है। चूँकि उक्त जब्त मोटरसाईकिल से शराब बरामद नहीं हुआ है और न ही परिवहन करते हुए पाया गया है। अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में न्यायहित में विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–145 / 17 दिनांक 26.06.2017 में में जब्त मोटरसाईकिल निबंधन सं0– BR07W-8327 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजें। आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर	

कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा